कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय हापुड़।

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार वाह्य न्यायालय गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़) परिसर में आंधी तूफान में टूट कर गिरे सागौन , अमरूद, यूकेलिप्टस के पुराने पेड़ो की सूखी लकडियों ,शाखाओं आदि की नीलामी की जानी है उक्त सूखी लकड़ियाँ वाह्य न्यायालय गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़) परिसर में रखी है। उक्त नीलामी की कार्यवाही को किये जाने हेतु दिनांक 26-10-2023 दिन गुरूवार समय 04:30 बजे नियत की जाती है। इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग लेने हेतु समय से कार्यालय केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय हापुड़ में उपस्थित होकर नियत जमानत धनराशि जमा किया जाना सुनिश्चित करें। नीलामी से सम्बन्धित नियम एवं शर्तो या अन्य प्रकार की जानकारी हेतु केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय हापुड़ से कार्यालय समय 10:00 से 05:00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।

नीलामी की आवश्यक शर्ते निम्न हैः-

1. सभी उपस्थित बोली दाताओं की नीलामी से पूर्व केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय हापुड़ में धरोहर/जमानत धनराशि अंकन 2,500 रूपये नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट एवं चैक से जमा करना होगा जो जनपद न्यायाधीश हापुड़ के नाम होगा। नीलामी समाप्ति पर यदि उसके नाम नीलामी नही होती है तो धरोहर/जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।

2. नीलामी हेतु गठित की गयी नीलामी समिति द्वारा सरकारी बोली/न्यूनतम बोली अंकन 9,000 रूपये निश्चित की गयी है। तथा नीलामी के इच्छुक व्यक्ति को उससे अधिक बोली बोलनी होगी।

3. सभी उपस्थित बोली दाताओं में सबसे अधिक बोली बोलने व्यक्ति को बोली समाप्त होते ही स्वीकृत बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि बोली स्थल पर ही नगद जमा करनी होगी, तथा शेष धनराशि बोली का अनुमोदन होने के उपरान्त अन्दर तीन दिन में जमा करनी होगी। यदि निर्धारित समय में समस्त धनराशि नही जमा करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

4. वाह्य न्यायालय गढ़मुक्तेश्वर की उक्त पुराने टूटे पेड़ो की लकडियों,की शाखाओं को उठाने से पूर्व सफल बोलीदाता नीलामी प्राप्तकर्ता को अनुमति पत्र प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर ही उक्त लकडियों को उठाकर ले जाना होगा।

5. नीलामी प्राप्तकर्ता एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा उक्त पुराने टूटे पेड़ों की लकड़ियों को उठाने/ निकासी के समय सरकारी सम्पत्ति को नुकसान नही पहुचाया जायेगा। नुकसान होने पर समस्त उत्तरदायित्व नीलामी प्राप्तकर्ता का होगा।

6. माननीय जनपद न्यायाधीश हापुड़ द्वारा बिना किसी कारण बताये उच्चतम बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

7. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं का आधार कार्ड/पहचान पत्र/कार्य के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र/चरित्र प्रमाण पत्र दाखिल करना अनिवार्य होगा तथा नीलामी के समय उक्त मूल दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा।

8. नीलामी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय हापुड़ का होगा।

9. नीलामी क्रेता उपस्थित बोली दाताओं को नीलामी सम्बन्धित समस्त औपचारिकताये स्वंय पूर्ण करनी होगी।

10. उपरोक्त समस्त शर्तों का पालन न करने की दशा में उक्त पुराने सूखे टूटे पेड़ो की नीलामी का विक्रय रद्द समझा जायेगा।

11. नीलामी के पश्चात प्रभागीय वन अधिकारी से अनुमति व शुल्क आदि देय/लागू होने की स्थिति में नियमानुसार जमा करना होगा।

12. नीलामी द्वारा निस्तारित उक्त लकड़ियों के पातन आदि हेतु नीलामी क्रेता को प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ के कार्यालय से नियमानुसार अभिवहन पास आदि अनुमति आवश्यकतानुसार प्राप्त करनी आवश्यक है।

दिनांक–10–10–2023

10-10-2023

(उमाकान्त जिन्दल)
अध्यक्ष नीलामी समिति
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
हापुड़।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–</u>

1. नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायालय हापुड़।
2. नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी हापुड़।
3. समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद हापुड़।
4. तहसीलदार, सदर जनपद हापुड़।
5. नोटिस बोर्ड, हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण।
6. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाईट का प्रकाशन हेतु कम्प्यूटर अनुभाग हेतु।
7. कम्प्यूटर विभाग जनपद न्यायालय हापुड़ की वेबसाईट में प्रकाशन हेतु।
8. जिला सूचना अधिकारी को समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।
9. कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय हापुड़ के समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
10. उपनजारत वाह्य न्यायालय गढ़मुक्तेश्वर जिला हापुड़।
11. नोटिस बोर्ड वाह्य न्यायालय गढ़मुक्तेश्वर जिला हापुड।